[2021] 11 एस. सी. आर 163

एम. एच. डी. मुस्तफा

वी.

भारत और ओआरएस का संघ।

(2021 की सिविल अपील No.6905)

16 नवंबर, 2021

[एल. नागेश्वर राव, संजीव खन्ना और

बी. आर. जीएवीएआई, जेजे]

सेवा कानूनः पुलिस महानिदेशक (पुलिस बल के प्रमुख) का चयन और नियुक्ति पद -

पंजाब के राज्यपाल द्वारा डी. जी. पी. (एच. ओ. पी. एफ.) के रूप में प्रतिवादी संख्या 4 न्यायाधिकरण ने इस आधार पर चयन को रद्द कर दिया कि

पंजाब राज्य के लिए डी. जी. पी. (एच. ओ. पी. एफ.) के चयन के लिए पैनल प्रकाश सिंह के मामले का उल्लंघन कर रहा था-उच्च न्यायालय ने उक्त आदेश को खारिज कर दिया-अपील पर, अभिनिर्धारित कियाः न्यायिक समीक्षा के तहत शक्ति का प्रयोग करने वाले न्यायालय उम्मीदवारों के तुलनात्मक गुणों का पुनर्मूल्यांकन करके विशेषज्ञ निकायों द्वारा किए गए चयनों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं-हस्तक्षेप पक्षपात, दुर्भावना और इसके विपरीत निर्णयों तक ही सीमित है।

वैधानिक प्रावधान-पैनल समिति द्वारा पंजाब राज्य के लिए डी. जी. पी. (एच. ओ. पी. एफ.) के रूप में नियुक्ति के लिए पैनल की तैयारी मसौदा दिशानिर्देशों के अनुपालन में है।

प्रकाश सिंह के मामले में इस अदालत द्वारा जारी निर्देश-प्रकाश सिंह के मामले में इस अदालत द्वारा निर्देशित प्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखते हुए पैनल तैयार किया गया था-कोई अप्रासंगिक नहीं

विचार ने निर्णय को प्रेरित किया-पैनल समिति द्वारा पैनल की तैयारी को तर्कहीन और अनुचित नहीं कहा जा सकता है-साथ ही न्यायाधिकरण ने समिति के निर्णय को कारणों के अभाव में मनमाना ठहराने में गलती की-इसके अलावा, पूर्वाग्रह और पूर्वाग्रह के दावे पर आधारित आरोपों में जाने की आवश्यकता नहीं है-इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधिकरण के फैसले को दरकिनार करने और प्रतिवादी संख्या 4 के चयन और नियुक्ति को पंजाब राज्य के डीजीपी (एचओपीएफ) के रूप में बरकरार रखने में कोई त्रुटि नहीं की गई-न्यायिक समीक्षा।

न्यायिक समीक्षाः कार्यक्षेत्र की शक्ति पर चर्चा की गई।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः 1.1 न्यायिक समीक्षा को अन्य शाखाओं या स्तरों के कार्यों की समीक्षा करने की न्यायालय की शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

सरकार; विशेष रूप से न्यायालय की विधायी को अमान्य करने की शक्ति

और असंवैधानिक होने के रूप में कार्यकारी कार्रवाई। न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रशासनिक कार्रवाई की वैधता और विधानों की वैधता निर्धारित करने के लिए न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में है और इसका उद्देश्य नागरिकों को राज्य की किसी भी शाखा द्वारा शक्ति के दुरुपयोग और दुरुपयोग से बचाना है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति भारत के संविधान की एक बुनियादी विशेषता है। न्यायिक समीक्षा की कुछ अंतर्निहित सीमाएँ हैं। हालाँकि, यह प्रशासनिक कार्यों को करने के अलावा अन्य विवादों के निर्णय के लिए अधिक उपयुक्त है। कानून का प्रशासन करना कार्यपालिका का काम है और न्यायपालिका का काम यह सुनिश्चित करना है कि सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करे। जिन आधारों पर प्रशासनिक कार्रवाई न्यायिक समीक्षा के अधीन है, वे अवैधता, तर्कहीनता और प्रक्रियात्मक अनुचितता हैं। [पैरा 13,14] [180-एफ-जी; 181-ए-बी]

1.2 प्रशासनिक प्राधिकरण में निहित विवेकाधीन शक्ति पूर्ण और निरंकुश नहीं होती है। विवेक होना चाहिए

उचित रूप से प्रयोग किया। [पैरा 15] [182-बी]

1.3 बाहरी या अप्रासंगिक विचारों द्वारा प्रेरित शर्तें अनुचित हैं और न्यायिक समीक्षा के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायालयों द्वारा दरकिनार की जा सकती हैं। सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद एक प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जा सकता है। यदि विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग प्रासंगिक विचार की अवहेलना में किया गया है, तो न्यायालय आम तौर पर कार्रवाई को कानून की दृष्टि से गलत ठहराएगा। निर्णय लेते समय एक कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक, सामान्य और वैध विचारों को नजरअंदाज या अनदेखा नहीं किया जा सकता है। यह एक सामान्य कानून है कि न्यायिक समीक्षा के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय उम्मीदवारों के तुलनात्मक गुणों का पुनर्मूल्यांकन करके विशेषज्ञ निकायों द्वारा किए गए चयनों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं।

चयन के साथ हस्तक्षेप पूर्वाग्रह, दुर्भावना और वैधानिक प्रावधानों के विपरीत निर्णयों तक ही सीमित है। [पैरा

16] [182 - डी-एफ]

1.4 द्वारा जारी किए गए निर्देशों के कार्यान्वयन के माध्यम से

इस अदालत ने प्रकाश सिंह के मामले में, यूपीएससी ने डीजीपी (पुलिस प्रमुख) के रूप में नियुक्ति के लिए अधिकारियों को सूचीबद्ध करने के लिए मसौदा दिशानिर्देश तैयार किए। संबंधित संवर्ग की भारतीय पुलिस सेवा से संबंधित अधिकारी, जो ए. डी. जी. के पद से कम नहीं हैं, और जिन्होंने रिक्ति होने की तारीख तक कम से कम 30 साल की सेवा पूरी कर ली है, जिसके लिए पैनल तैयार किया गया है, वे एम. ओ. एच. डी. माने जाने के लिए पात्र हैं।

मुस्तफा वी। भारत और ओआरएस का संघ।

डीजीपी के रूप में चयन और नियुक्ति के लिए। दिशानिर्देशों के अनुसार, चयन योग्यता-आधारित होगा और पैनल में शामिल करने का निर्णय 'बहुत अच्छे' रिकॉर्ड और पुलिस बल का नेतृत्व करने के अनुभव के आधार पर किया जाएगा। मसौदा दिशानिर्देश

समिति को अपने तरीके अपनाने का अधिकार दिया और

विचार के क्षेत्र में अधिकारियों की उपयुक्तता के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया। समिति की बैठक की तारीख से पहले पिछले दस वर्षों के संदर्भ में अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों का मूल्यांकन करने के लिए समिति बाध्य थी। समिति द्वारा पिछले 10 वर्षों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 'बहुत अच्छे' के रूप में मूल्यांकन किए गए अधिकारियों को ही पैनल में शामिल करने के लिए विचार किया जाएगा। दिशानिर्देशों के अनुसार, समिति की सीमा को भी ध्यान में रखा जाएगा पुलिस बल का नेतृत्व करने के लिए प्रासंगिक अनुभव, जो पैनल में शामिल करने के लिए उनकी उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए अधिकारियों के जैव-डेटा में परिलक्षित होता है। दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया है कि राज्य सरकार पैनल में शामिल तीन सबसे वरिष्ठ अधिकारियों में से डीजीपी की नियुक्ति करेगी। [पैरा 19,20] [184-ए, डी-जी]

1.5 यूपीएससी के अनुसार, प्रकाश सिंह के मामले में इस अदालत द्वारा जारी निर्देशों को प्रभावी बनाने के लिए दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार किया गया था। मसौदा दिशानिर्देश इस न्यायालय के समक्ष तब रखे गए थे जब भारत सरकार द्वारा इसके लिए अंतर्वर्ती आवेदन दायर किया गया था। प्रकाश सिंह के मामले में आई. डी. 1 के फैसले में संशोधन पर विचार किया जा रहा था। इस न्यायालय ने डी. जी. पी. के पद पर चयन के मामले में यू. पी. एस. सी. द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और व्यवहार के बारे में संतोष व्यक्त किया। मसौदा दिशानिर्देशों में प्रकाश सिंह के मामले में इस अदालत द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार डी. जी. पी. के चयन के लिए पैनल समिति द्वारा विचार किए जाने वाले कारकों का उल्लेख किया गया है। पुलिस बल का नेतृत्व करने के लिए सेवा की अवधि, बहुत अच्छा रिकॉर्ड और अनुभव की सीमा पर पैनल समिति द्वारा विचार किया जाना चाहिए। यूपीएससी के अनुसार, अनुभव की सीमा योग्यता के घटक का एक घटक हिस्सा है। पंजाब राज्य के लिए डी. जी. पी. (एच. ओ. पी. एफ.) के पद पर चयन के संबंध में, अनुभव की सीमा का आकलन करने के लिए पांच मुख्य पुलिस क्षेत्रों की पहचान की गई है।

पिछले 10 वर्षों से संबंधित अधिकारी, जो हैंः खुफिया, कानून और व्यवस्था, प्रशासन, जांच और सुरक्षा। मसौदा दिशानिर्देशों के आधार पर चयन [2021] 11 एस. सी. आर. था।

यू. पी. एस. सी. ने इस आधार पर बचाव किया कि दिशानिर्देश प्रकाश मामले में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप हैं। सिंह का मामला। [पैरा 24] [186-जी-एच; 187-ए-ई]

1.6 प्रकाश सिंह के मामले में इस अदालत ने निर्देश दिया

व्यापक मानदंड निर्धारित करके यूपीएससी द्वारा डीजीपी के पद पर नियुक्ति के लिए अधिकारियों का पैनल बनाना। इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का कार्यान्वयन वस्तुनिष्ठ आधार पर होना चाहिए, जिसके कारण यूपीएससी ने मसौदा दिशानिर्देश तैयार किए हैं, जिनका 2009 से डीजीपी के चयन के लिए समान रूप से पालन किया जा रहा है।

मनमाना कहा जाए। यह नहीं कहा जा सकता है कि मुख्य पुलिस क्षेत्रों की पहचान केवल प्रतिवादी संख्या 4 के अनुरूप की गई थी। विचाराधीन अधिकारियों की सापेक्ष योग्यता का मूल्यांकन पैनल समिति के अधिकार क्षेत्र में है, जिसे अपनी प्रक्रिया अपनाने की स्वतंत्रता दी गई है। विचाराधीन क्षेत्र में अधिकारियों की योग्यता का मूल्यांकन उनकी सेवा के रिकॉर्ड और अनुभव के आधार पर किया जाता है। तीन अधिकारियों का एक पैनल बना है वरिष्ठता के क्रम में तैयार। अपीलार्थी एम. ओ. एच. डी. पाया गया।

मुस्तफा वी। भारत और ओआरएस का संघ।

प्रकाश सिंह के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से मामला। न्यायाधिकरण के इस निष्कर्ष का कोई आधार नहीं है कि मसौदा दिशानिर्देश प्रकाश सिंह के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के विपरीत हैं। उक्त मामले में उल्लिखित व्यापक मानदंड वरिष्ठता, सेवा का बहुत अच्छा रिकॉर्ड और पुलिस बल का नेतृत्व करने के लिए अनुभव की सीमा हैं। मसौदा दिशानिर्देश जिनका पैनल समितियों द्वारा ईमानदारी से पालन किया जाना है, यह निर्धारित करता है कि चयन समान मानदंडों पर होना चाहिए। तत्काल मामले में, पैनल समिति ने पुलिस बल का नेतृत्व करने के लिए अधिकारियों के अनुभव की सीमा का आकलन करने का निर्णय लिया

राज्य की विशिष्टताओं पर विचार करने के बाद पंजाब राज्य। बीस पुलिस क्षेत्रों के क्षेत्र में से पांच मुख्य पुलिस क्षेत्रों की पहचान को शक्ति का मनमाना प्रयोग नहीं कहा जा सकता है। न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी की इस दलील को स्वीकार करने में त्रुटि की कि पैनल समिति द्वारा पहचाने गए मुख्य पुलिस क्षेत्र केवल अप्रमाणित आरोपों के आधार पर प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में थे। पैनल किया गया था यू. पी. एस. सी. द्वारा प्रकाश सिंह के मामले में पुलिस बल का नेतृत्व करने के लिए सेवा की अवधि, बहुत अच्छे रिकॉर्ड और अनुभव के आधार पर कार्य करने का निर्देश दिया गया। बाद में, दिनांकित आदेश में

13.03.2019 , इस न्यायालय ने आई. डी. 1 के अपने पहले के आदेश को स्पष्ट किया और यू. पी. एस. सी. को विशुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर पैनल तैयार करने का निर्देश दिया। विचार के लिए 12 अधिकारियों के नामों की सिफारिश ए. डी. जी. पी. के संवर्ग में तीस साल की सेवा पूरी करने के आधार पर की जाती है। प्रकाश सिंह के मामले में उल्लिखित सेवा की अवधि को विचार के क्षेत्र के निर्धारण के लिए ध्यान में रखा गया है। अन्य दो कारक अर्थात् सेवा का अच्छा रिकॉर्ड और सभी 12 अधिकारियों के अनुभव की सीमा

सेवा की अवधि के आधार पर अनुशंसित का मूल्यांकन पैनल समिति द्वारा किया जाता है। उम्मीदवारों की योग्यता का मूल्यांकन पैनल समिति द्वारा अनुसरण किए गए वस्तुनिष्ठ मानदंडों के अनुसार किया गया था। पैनल की तैयारी

पैनल समिति द्वारा पंजाब राज्य के लिए डी. जी. पी. (एच. ओ. पी. एफ.) के रूप में नियुक्ति मसौदा दिशानिर्देशों के अनुपालन में है, जो प्रकाश सिंह के मामले में इस अदालत द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप हैं क्योंकि पैनल [2021] 11 एस. सी. आर. लेने के बाद तैयार किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रकाश सिंह के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्देशित और मसौदा दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखते हुए। चूंकि कोई अप्रासंगिक विचार ने निर्णय को प्रेरित नहीं किया, पैनल समिति द्वारा पैनल की तैयारी को तर्कहीन नहीं कहा जा सकता है। कार्य की प्रकृति और चयन समिति को दी गई शक्ति को ध्यान में रखते हुए, यह एक कानूनी आवश्यकता नहीं है कि इसके कारणों को दर्ज किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष न्यायाधिकरण ने कारणों के अभाव में समिति के निर्णय को मनमाना ठहराने में त्रुटि की। इसलिए, पैनल समिति द्वारा पैनल की तैयारी को अनुचितता से ग्रस्त नहीं कहा जा सकता है। [पैरा 26] [188-ए-एच; 189-ए-ई]

1.8 अपीलार्थी ने तर्क दिया कि प्रत्यर्थी संख्या 5 को पैनल समिति से खुद को अलग कर लेना चाहिए था क्योंकि

वह उसके प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करता है। अपीलार्थी ने तर्क दिया कि उसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी में कानून प्रवर्तन अधिकारियों की संलिप्तता की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया था और उसने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सामग्री का पता लगाया। उन्हें आई. एस. सी. की आत्महत्या से जुड़े एक आपराधिक मामले में झूठा फंसाया गया था। यह अपीलार्थी का मामला है कि उसने एक सीलबंद लिफाफे में 18.05.2018 पर उच्च न्यायालय को एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें उसने प्रतिवादी संख्या 4 और प्रतिवादी संख्या 5 की संलिप्तता का उल्लेख किया है।

नशीली दवाओं की तस्करी। अपीलार्थी ने खारिज करने का उल्लेख किया

उत्तरदाता सं. 5 इससे पहले जब उन्हें अपनी प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट लिखने के लिए कहा गया था। अंत में, अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया कि पैनल की तैयारी पक्षपाती होने के कारण दूषित हो जाती है

उत्तरदाता सं. 5. दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि अपीलार्थी की आत्महत्या में शामिल था

आई. एस. सी. अपीलार्थी के नेतृत्व में विशेष जांच दल ने उच्च न्यायालय के समक्ष 01.02.2018 और 15.03.2018 पर दो रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें प्रतिवादी संख्या 4 या प्रतिवादी संख्या 5 का कोई उल्लेख नहीं है। उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत सीलबंद लिफाफा विशेष जांच दल के अन्य दो सदस्यों से परामर्श किए बिना था। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी संख्या 5, किसी राज्य के डी. जी. पी. होने के नाते, स्वयं को इसके सदस्य होने से अलग नहीं कर सकते थे।

पैनल समिति। यह भी तर्क दिया जाता है कि अपीलार्थी ने एम. ओ. एच. डी. की भागीदारी के संबंध में कोई आपत्ति नहीं जताई है।

मुस्तफा वी। भारत और ओआरएस का संघ।

चयन कार्यवाही में प्रत्यर्थी सं. 5। का सिद्धांत प्रत्यर्थियों द्वारा सेवा में यह प्रस्तुत करने के लिए दबाव डाला गया था कि प्रत्यर्थी संख्या 5 खुद को पैनल समिति से अलग नहीं कर सकता था। [पैरा 27] [189-ई-जी; 190-ए-सी]

तीन वरिष्ठ अधिकारियों की सिफारिश करने के लिए एक पैनल समिति-सेवा का अच्छा रिकॉर्ड और अनुभव की सीमा के साथ और अन्य मापदंडों को पूरा करने वाले अधिकांश अधिकारी, जिनमें से डी. जी. पी. का चयन और नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। राज्य के निवर्तमान डी. जी. पी. यू. पी. एस. सी. द्वारा जारी मसौदा दिशानिर्देशों के अनुसार पैनल समिति के सदस्य हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में जारी किए गए ये दिशा-निर्देश सर्वविदित और सार्वजनिक हैं। अतः यह स्थिति कि प्रतिवादी संख्या 5, डी. जी. पी. होने के नाते, पैनल का सदस्य होगा। समिति अपीलार्थी की जानकारी में थी। इस तथ्य की अज्ञानता को केवल ढोंग के रूप में अस्वीकार किया जाना चाहिए। दोनों अपीलार्थी आम आदमी नहीं हैं, बल्कि राज्य में शीर्ष पुलिस पद पर नियुक्ति के इच्छुक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स में 30 जनवरी 2019 को प्रकाशित लेख, जिसका शीर्षक था "डी. जी. पी. की नियुक्ति-सभी की नज़रें यू. पी. एस. सी. की 4 फरवरी की बैठक पर", में कहा गया है कि विकास की जानकारी रखने वाले अधिकारियों से एकत्र की गई जानकारी के अनुसार, यू. पी. एस. सी.

बैठक दिल्ली में होगी और इसमें पंजाब के मुख्य सचिव श्री करण अवतार सिंह और मौजूदा डी. जी. पी. [2021] 11 एस. सी. आर. शामिल होंगे।

श्री सुरेश अरोड़ा, अर्थात, प्रत्यर्थी सं. 5। दिए गए तथ्यों में और अपीलार्थी की स्थिति और स्थिति पर विचार करते हुए, यह याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती है कि पैनल समिति में प्रतिवादी संख्या 5 की भागीदारी अज्ञात थी या अपीलार्थियों के लिए एक गुप्त बात थी। [पैरा 29] [190-एफ-जी; 191-ए-डी]

1.11 यह जांचा जाना है कि क्या अपीलार्थी हैं

पैनल समिति द्वारा की गई सिफारिशों को चुनौती देने से अलग कर दिया गया, इस तथ्य को देखते हुए कि उन्होंने एक सोचा-समझा मौका लिया था, और चयन समिति को सार्वजनिक किए जाने तक विरोध नहीं किया। तत्काल मामले में, अपीलार्थी ने भी दांव के बावजूद एक सोचा-समझा मौका लिया था, वह भी बिना किसी विरोध के, और फिर देर से पक्षपात और पूर्वाग्रह की याचिका तब उठाई जब उसकी सिफारिश नहीं की गई थी। [पैरा 30] [191-डी-ई, एफ]

मदन लाल और अन्य बनाम। जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य (1995) 3 एस. सी. सी. 486: [1995] 1 एस. सी. आर. 908 पर भरोसा किया।

1.12 इस न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह पक्षपात और पक्षपात के दावे के आधार पर आरोपों और प्रस्तुतियों में आगे की जांच करे। पूर्वाग्रह। न्यायाधिकरण के फैसले को दरकिनार करने और इसे बरकरार रखने में उच्च न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है।

पंजाब राज्य के डी. जी. पी. (एच. ओ. पी. एफ.) के रूप में प्रतिवादी संख्या 4 का चयन और नियुक्ति। [पैरा 37,38] [196-जी; 197-ए]

पी. डी. दिनाकरन (1) बनाम। न्यायाधीश जांच समिति और अन्य (2011) 8 एस. सी. सी. 380: [2011] 10 एस. सी. आर. 1064; प्रकाश सिंह बनाम। भारत संघ (2006) 8 एससीसी 1:

[2006] 6 पूरक। एस. सी. आर. 473-पर निर्भर।

केरल (1973) 4 एससीसी 225: [1973] पूरक। एस. सी. आर. 1; एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) 3 एससीसी 1: [1994] 2 एससीआर 644; राम अवतार शर्मा बनाम। हरियाणा राज्य (1985) 3 एससीसी 189: [1985] 3 एससीआर 686; यू. पी. राज्य बनाम राजा राम जयसवाल (1985) 3 एस. सी. सी. 131: [1985] 3 एस. सी. आर. 1021; शीओनानंदन पासवान बनाम। बिहार राज्य और अन्य (1983) 1 एस. सी. सी. 438 [1983] 2 एस. सी. आर. 61; संत राज बनाम। ओ. पी. सिंगला (1985) 2 एससीसी 349: [1985] 3 एससीआर 623; सच्चिदानंद एमओएचडी।

मुस्तफा वी। भारत और ओआरएस का संघ।

पांडे बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य (1987) 2 एस. सी. सी. 295: [1987] 2 एस. सी. आर. 223; दलपत अबासाहेब सोलुंके बनाम। डॉ बी. एस. महाजन

वी. अरुण कुमार शर्मा और अन्य। (2015) 12 एस. सी. सी. 600; बैद्यनाथ यादव बनाम। आदित्य नारायण रॉय और अन्य। (2020) 16 एससीसी 799: [2019] 15 एससीआर 427; रतन लाल शर्मा बनाम। प्रबंध समिति, डॉ. हरि राम (सह-शिक्षा) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और अन्य (1993) 4 एससीसी 10 : [1993] 3 एससीआर 863; ओम प्रकाश शुक्ला बनाम। अखिलेश कुमार शुक्ला और अन्य (1986) पूरक। एससीसी 285:

[1986] एससीआर 855; मनीष कुमार शाही बनाम। बिहार राज्य और अन्य (2010) 12 एस. सी. सी. 576; रमेश चंद्र शाह और अन्य बनाम। अनिल जोशी और अन्य (2013) 11 एससीसी

309 [2013] 5 एस. सी. आर. 687; डॉ. जी. सरना बनाम। लखनऊ विश्वविद्यालय और अन्य (1976) 3 एस. सी. सी. 585: [1977] 1 एस. सी. आर. 64; मद्रास विकास अध्ययन संस्थान और एक अन्य वी। के. शिवसुब्रमणियन और अन्य (2016) 1 एस. सी. सी. 454 [2015] 14 एस. सी. आर. 276; अशोक कुमार यादव और अन्य बनाम। हरियाणा राज्य और अन्य (1985) 4 एस. सी. सी. 417 [1985] 1 पूरक। एससीआर 657; ए. के. क्राईपाक और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (1969) 2 एस. सी. सी. 262; रंजीत ठाकुर बनाम। भारत संघ और अन्य (1987) 4 एस. सी. सी. 611 [1988] 1 एस. सी. आर. 512; श्री लाचू मल बनाम। श्री राधे श्याम (1971) 1 एस. सी. सी. 619; मानक लाल

(श्री), अधिवक्ता बनाम। प्रेम चंद सिंघवी और अन्य एआईआर 1957 एससी 425: [1957] एस. सी. आर. 575-संदर्भित।

सिविल सेवा संघों की परिषद और अन्य v. सिविल सेवा मंत्री [1985] एसी 374; संबद्ध प्रांतीय [2021] 11 एस।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पिक्चर हाउस लिमिटेड v. वेड्सबरी कॉर्प। [1947] 2 सभी ईआर 680; पैडफील्ड बनाम। कृषि मंत्री [1968] 1 सभी ई. आर. 694-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1981] 1 एससीआर 206

संदर्भित किया गया है

पै रा 13

[1973] पूरक। एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पै रा 13

[1994] 2 एससीआर 644

संदर्भित किया गया है

पै रा 13

[1985] 3 एससीआर 686

पै रा 16

संदर्भित किया गया है

[1985] 3 एससीआर 1021

संदर्भित किया गया है

पै रा 16

[1983] 2 एससीआर 61

संदर्भित किया गया है

पै

रा 16

[1985] 3 एससीआर 623

संदर्भित किया गया है

पै

रा 16

[1987] 2 एससीआर 223

संदर्भित किया गया है

पै

रा 16

(1990) 1 एससीसी 305

संदर्भित किया गया है

पै

रा 16

[2000] 3 पूरक। एससीआर 573

पै

रा 16

संदर्भित किया गया है

(1992) 2 पूरक। एस. सी. सी. 481

संदर्भित किया गया है

पै

रा 16

[1995] 2 एससीआर 532

संदर्भित किया गया है

पै

रा 16

[1988] 3 एस. सी. आर. 303

संदर्भित किया गया है

पै

रा 16

[2007] 13 एससीआर 624

संदर्भित किया गया है

पै

रा 16

[2018] 6 एससीआर 701

संदर्भित किया गया है

पै

रा 16

[2006] 6 पूरक। एससीआर 473

उस पर भरोसा करें

पै

रा 19

2

2-26 ,

(2005) 10 एससीसी 15

पै

रा 26

संदर्भित किया गया है

(2015) 12 एससीसी 600

संदर्भित किया गया है

पै

रा 26

[2019] 15 एससीआर 427

संदर्भित किया गया है

पै

रा 26

[1993] 3 एससीआर 863

संदर्भित किया गया है

पै

रा 28

[1995] 1 एससीआर 908

उस पर भरोसा करें

पै

रा 30 एमओएचडी।

मुस्तफा वी। भारत और ओआरएस का संघ।

[1986] एससीआर 855

संदर्भित किया गया है

पै

रा 30

(2010) 12 एस. सी. सी. 576

पै

रा 30

संदर्भित किया गया है

[2013] 5 एससीआर 687

संदर्भित किया गया है

पै

रा 30

[1977] 1 एससीआर 64

पै

रा 31

संदर्भित किया गया है

[2015] 14 एससीआर 276

संदर्भित किया गया है

पै

रा 32

[1985] 1 पूरक। एससीआर 657

संदर्भित किया गया है

पै

रा 34

[1988] 1 एससीआर 512

पै

रा 35

संदर्भित किया गया है

[2011] 10 एससीआर 1064

उस पर भरोसा करें

पै

रा 36

(1971) 1 एससीसी 619

संदर्भित किया गया है

पै

रा 36

[1957] एससीआर 575

संदर्भित किया गया है

पै

रा 36

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 6905

2021 से।

उच्च न्यायालय के 06.11.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2020 की सिविल रिट याचिका संख्या 1608 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा सरकार की ओर से।

के साथ

सिविल अपील सं। 6906-6909 2021 से।

कृष्णन वेणुगोपाल, परमजीत सिंह पटवालिया, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री पूजा

धर, गौरव रे, शिवेंद्र सिंह, एजाज मकबूल, सैफ जिया, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

अतुल नंदा, एजी, सुश्री ऐश्वर्या भाटी, अमन लेखी, एएसजी,

आर. बालासुब्रमण्यम, मुकुल रोहतगी, श्याम दीवान, मनिंदर सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री श्रद्धा देशमुख, श्याम गोपाल, अनुकल्प जैन, बी. वी. बलराम दास, नरेश कौशिक, वर्धमान कौशिक, मनोज जोशी, सुश्री ललिता कौशिक, निशांत गौतम, बी. पुरुषोत्तम रेड्डी, योगेश यादव, उज्जवल सिन्हा, सुश्री महक हुरिया, रित्विज ऋषभ, अनिकेत सेठ, परांजय चोपड़ा, सुश्री हिमांजली गौतम, वर्धमान कौशिक,

सुश्री रंजीता रोहतगी, सुश्री सैमटेन डोमा, करण भरीहोक, सिद्धांत शर्मा, सुश्री सनम त्रिपाठी, सुश्री उत्तरा बब्बर, मनन बंसल, प्रभास बजाज, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

1] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एल. नागेश्वर राव, जे.

छुट्टी दे दी गई।

1. पंजाब के राज्यपाल द्वारा पारित दिनांक आई. डी. 1 के आदेश से व्यथित होकर, जिसके द्वारा श्री दिनकर गुप्ता को पुलिस महानिदेशक (पुलिस बल के प्रमुख) के रूप में नियुक्त किया गया था (इसके बाद "डी. जी. पी. (एच. ओ. पी. एफ.)" के रूप में संदर्भित), अपीलकर्ताओं ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ पीठ, चंडीगढ़ के समक्ष मूल आवेदन दायर किए। दिनांक 1 के एक आदेश द्वारा, न्यायाधिकरण ने दिनांक 2 के आदेश को इस आधार पर दरकिनार कर दिया कि पंजाब राज्य के लिए डी. जी. पी. (एच. ओ. पी. एफ.) के चयन के लिए पैनल की तैयारी प्रकाश सिंह बनाम मामले में इस अदालत के फैसले का उल्लंघन थी। भारत संघ 1 दूसरों के अलावा। इसके अलावा, संघ लोक सेवा आयोग (इसके बाद "यूपीएससी" के रूप में संदर्भित) और पंजाब राज्य को डीजीपी (एचओपीएफ), पंजाब राज्य के पद के लिए नए सिरे से चयन करने का निर्देश दिया गया था। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी

2. मोहम्मद. 2020 के एस. एल. पी. (सी) No.14623 से उत्पन्न सिविल अपील में अपीलार्थी मुस्तफा इन अपीलों के लंबित रहने के दौरान सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हुए। द्वारा उठाए गए विवादों के रूप में दोनों दीवानी अपीलों में अपीलार्थी समान हैं, हम एसएलपी (सी) संख्या से उत्पन्न दीवानी अपील के तथ्यों का उल्लेख करेंगे। 14982-14985 2020 से।

श्री सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को 1986 में भारतीय पुलिस सेवा में शामिल किया गया और उन्हें पंजाब कैडर में नियुक्त किया गया। श्री सुरेश अरोड़ा के आगामी सेवानिवृत्ति के कारण पंजाब राज्य के डी. जी. पी. (एच. ओ. पी. एफ.) के पद को भरने की आवश्यकता थी। भारत संघ द्वारा पंजाब राज्य के लिए डी. जी. पी. (एच. ओ. पी. एफ.) के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने के लिए उत्तरदाता संख्या 1-यू. पी. एस. सी. को 19.01.2019 पर एक पत्र लिखा गया था। 12 अधिकारियों की सूची जो

1 (2006) 8 एससीसी 1 एमओएचडी।

मुस्तफा वी। भारत और ओआरएस का संघ। [एल. नागेश्वर राव, जे.]

डी. जी. पी./अतिरिक्त डी. जी. पी. के पद पर कार्यरत थे और जिन्होंने तीस साल की सेवा पूरी कर ली थी, उन्हें पंजाब राज्य द्वारा अग्रेषित किया गया था। द.

अपीलार्थी को उक्त सूची में शामिल किया गया था।

3. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा गठित पैनल समिति ने एक पैनल को अंतिम रूप दिया जिसमें श्री दिनकर गुप्ता-प्रतिवादी संख्या 4, श्री एम. के.

तिवारी-प्रतिवादी संख्या 6 और श्री वी. के. भावरा प्रतिवादी संख्या 7। राज्य सरकार ने उक्त पैनल से प्रतिवादी संख्या 4 को डीजीपी (एचओपीएफ) के रूप में चुना और नियुक्त किया। डी. जी. पी. (एच. ओ. पी. एफ.) के रूप में प्रत्यर्थी संख्या 4 के चयन और नियुक्ति को चुनौती देते हुए, अपीलार्थी और मोहम्मद। मुस्तफा ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में मूल आवेदन दायर किए। न्यायाधिकरण ने अपने दिनांक 17.01.2020 के आदेश द्वारा मूल आवेदनों की अनुमति दी और 04.02.2019 पर पैनल समिति द्वारा तैयार पैनल को अलग कर दिया। नतीजतन, डी. जी. पी. (एच. ओ. पी. एफ.) के रूप में प्रतिवादी संख्या 4 का चयन और नियुक्ति को अलग कर दिया गया। न्यायाधिकरण ने प्रकाश सिंह के मामले (उपरोक्त) में इस अदालत के फैसले के अनुसार सख्ती से नए सिरे से तीन वरिष्ठ अधिकारियों का एक पैनल तैयार करने का निर्देश दिया।

4. न्यायाधिकरण की राय थी कि प्रकाश सिंह के मामले में इस न्यायालय ने चयन के लिए पालन किए जाने वाले मापदंडों का निपटारा किया।

पुलिस महानिदेशक। यूपीएससी प्रक्रिया से भटक गया इस न्यायालय द्वारा विहित, चयन को अमान्य करते हुए। न्यायाधिकरण

अभिनिर्धारित किया कि इस न्यायालय ने तीन कारकों को निर्दिष्ट किया है जिनका डी. जी. पी. के चयन के लिए पालन किया जाना चाहिए। वरिष्ठता, एक कारक होने के साथ-साथ सेवा का अच्छा रिकॉर्ड और पुलिस बल का नेतृत्व करने के अनुभव की सीमा को पैनल को अंतिम रूप देने में पैनल समिति द्वारा उचित महत्व नहीं दिया गया था। न्यायाधिकरण के अनुसार, यूपीएससी द्वारा तैयार किए गए मसौदा दिशानिर्देश 2009 (इसके बाद "मसौदा दिशानिर्देश" के रूप में संदर्भित) की कोई प्रामाणिकता या वैधता नहीं है। बीस पुलिस क्षेत्रों के क्षेत्र से पांच मुख्य पुलिस क्षेत्रों की पहचान बिना किसी आधार के है। इसके अलावा, न्यायाधिकरण ने माना कि मुख्य पुलिस क्षेत्रों की पहचान चयनित उम्मीदवार के अनुरूप थी। तीन व्यक्तियों के पैनल की तैयारी

बिना कोई कारण बताए गलती भी पाई गई।

5. न्यायाधिकरण के फैसले से व्यथित होकर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर की गईं। उच्च न्यायालय ने गठित किया निर्धारण के लिए निम्नलिखित प्रश्नः

न्यायिक समीक्षा/हस्तक्षेप का दायरा क्या है?

1)

भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय ने प्रशासनिक के फैसले के खिलाफ

न्यायाधिकरण (संक्षेप में "न्यायाधिकरण")?

1] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(क) क्या मसौदा दिशानिर्देश 2009 द्वारा जारी किए गए हैं

2)

यूपीएससी के लिए प्रक्रिया और तौर-तरीकों का विवरण

आधार उच्चतम न्यायालय के उल्लंघन में हैं प्रकाश सिंह के मामले में निर्देश (ऊपर) और क्या वर्तमान मामले में 5 मुख्य पुलिसिंग क्षेत्रों को चुना गया है

क्या यह वैध है?
(ग) क्या उपरोक्त (क) और (ख) के मुद्दों पर इस न्यायालय के निष्कर्षों को देखते हुए, न्यायाधिकरण के निष्कर्ष

टिकाऊ हैं?

(क) न्यायिक समीक्षा का दायरा क्या है?

3)

चयन द्वारा सूचीकरण और चयन /

पैनल समिति?

(ख) क्या न्यायाधिकरण ने उक्त शक्ति को पार कर लिया है -

यूपीएससी द्वारा डीजीपी (एचओपीएफ) के चयन में न्यायिक समीक्षा

फरवरी 2019 में?

क्या विवादित आदेश दिनांकित 17.01.2020 का है

4)

न्यायाधिकरण दरकिनार किए जाने और परिणामी राहत के लिए उत्तरदायी है?

6. उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रकाश सिंह के मामले में इस न्यायालय ने सेवा की अवधि पर विचार करके अधिकारियों के मूल्यांकन के आधार पर डी. जी. पी. के पद पर चयन के लिए व्यापक दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं।

पुलिस बल का नेतृत्व करने के लिए अच्छा रिकॉर्ड और अनुभव। प्रकाश सिंह के मामले में इस अदालत द्वारा जारी निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए यूपीएससी द्वारा मसौदा दिशानिर्देश तैयार किए गए थे। न्यायाधिकरण का यह निष्कर्ष कि मसौदा दिशानिर्देशों की कोई प्रामाणिकता नहीं है, खारिज कर दिया गया था

उच्च न्यायालय इस आधार पर कि मसौदा दिशानिर्देशों को इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। मसौदा दिशानिर्देश तैयार करने और पैनल समिति को अपनी प्रक्रिया का पालन करने का विवेकाधिकार देने में यूपीएससी के अधिकार क्षेत्र को उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा। पंजाब राज्य के अधिकारियों के मूल्यांकन के लिए पांच मुख्य पुलिस क्षेत्रों का चयन एम. ओ. एच. डी. था।

मुस्तफा वी। भारत और ओआरएस का संघ। [एल. नागेश्वर राव, जे.]

उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित। इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि डी. जी. पी. के चयन को अंतिम रूप देते समय कारणों को दर्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायाधिकरण ने यू. पी. एस. सी. द्वारा किए गए चयन को दरकिनार करने में विशेषज्ञों के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है। उच्च न्यायालय इस बात से सहमत था कि

न्यायाधिकरण ने कहा कि अपीलार्थी पक्षपात का मामला बनाने में विफल रहा। अंत में, उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण के फैसले को दरकिनार कर दिया और प्रतिवादी संख्या 4 के डी. जी. पी. (एच. ओ. पी. एफ.) के रूप में चयन और नियुक्ति को बरकरार रखा।

7. हमने श्री कृष्णन वेणुगोपाल को सुना है, जो एसएलपी (सी) संख्या से उत्पन्न सिविल अपील में अपीलार्थी के वरिष्ठ वकील हैं। 14982-14985 2020 में, श्री पी. एस. पटवालिया, 2020 के एस. एल. पी. (सी) No.14623 से उत्पन्न सिविल अपील में अपीलार्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री अमन लेखी, प्रतिवादी संख्या 1-यू. पी. एस. सी. के लिए विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, श्री मुकुल रोहतगी, पंजाब राज्य के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री मनिंदर सिंह, प्रतिवादी संख्या 4 के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील और श्री श्याम दीवान, प्रतिवादी संख्या 5 के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील। 8. श्री कृष्णन वेणुगोपाल, एस. एल. पी. (सी) सं. से उत्पन्न सिविल अपील में अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील। 14982-14985 2020 के, ने तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 4 की डी. जी. पी. (एच. ओ. पी. एफ.) के रूप में सूचीकरण और नियुक्ति पूर्वाग्रह से दूषित है। प्रत्यर्थी संख्या 5 जो पैनल समिति के सदस्य थे, के खिलाफ पूर्वाग्रह था

2013 की सिविल रिट याचिका संख्या 20359 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा दायर रिपोर्ट के कारण अपीलार्थी जिसका शीर्षक 'अपने स्वयं के प्रस्ताव पर न्यायालय' है। पंजाब राज्य और एक अन्य 'जिसमें प्रतिवादी संख्या 5 आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाया गया था। इससे पहले के अवसरों पर प्रत्यर्थी संख्या 5 ने अपीलार्थी से संबंधित मामलों में खुद को अलग कर लिया था और इसलिए, प्रत्यर्थी संख्या 5 को चयन प्रक्रिया में भाग नहीं लेना चाहिए था। तदनुसार, पैनल समिति का निर्णय, जिसमें प्रतिवादी संख्या 5 सदस्य था, सही नहीं है और इसे दरकिनार किया जा सकता है। अपीलार्थी ने तर्क दिया कि मसौदा दिशानिर्देशों की कोई कानूनी पवित्रता नहीं है। मसौदा दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित मानदंड प्रकाश सिंह के मामले में इस अदालत के फैसले के विपरीत हैं। मसौदा दिशानिर्देशों को वैधानिक नियम या विनियम नहीं माना जा सकता है। अपीलार्थी की ओर से आगे यह प्रस्तुत किया गया कि बीस पुलिस क्षेत्रों में से पांच मुख्य पुलिस क्षेत्रों की पहचान पैनल समिति द्वारा मूल्यांकन के मानदंड के रूप में की गई थी

पुलिस बल का नेतृत्व करने के लिए अधिकारियों के अनुभव की सीमा [2021] 11 एस. सी. आर. के अनुरूप थी।

9. श्री अमन लेखी, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, ने अपीलार्थियों की ओर से की गई दलीलों का विरोध करते हुए तर्क दिया कि इस न्यायालय द्वारा मसौदा दिशानिर्देशों को मंजूरी दी गई थी। उन्होंने कहा कि

प्रकाश सिंह के मामले में इस अदालत के फैसले को प्रभावी बनाने के लिए यूपीएससी द्वारा दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार किया गया था। आम तौर पर पुलिस अधिकारियों को आवंटित किए गए बीस डोमेन कार्यों में से सूची में शामिल करने के लिए जिन पांच मुख्य पुलिस क्षेत्रों की पहचान की गई थी, वे पंजाब राज्य की विशिष्ट स्थिति और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किए गए थे। प्रकाश सिंह के मामले में इस अदालत द्वारा निर्धारित मानदंड मसौदा दिशानिर्देशों का हिस्सा हैं और न्यायाधिकरण ने दिशानिर्देशों को उक्त फैसले के विपरीत ठहराने में त्रुटि की है। प्रत्यर्थी संख्या 5, तत्कालीन डी. जी. पी. (एच. ओ. पी. एफ.) होने के नाते, पैनल समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया था और अपीलकर्ताओं ने पैनल समिति के विचार-विमर्श में उनकी भागीदारी पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी। यह तर्क दिया गया कि पैनल समिति द्वारा मूल्यांकन मसौदा दिशानिर्देशों और प्रकाश सिंह के मामले में इस अदालत के फैसले के अनुसार सख्ती से होने के कारण, प्रतिवादी संख्या 4 का डीजीपी (एचओपीएफ) के रूप में चयन और नियुक्ति वैध है। पैनल समिति को कोई कारण दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है।

10. पंजाब राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि विचाराधीन क्षेत्र के अनुसार मसौदा दिशानिर्देशों का खंड 2 उन अधिकारियों के लिए एडीजीपी/डीजीपी के कैडर तक सीमित है जिन्होंने 30 साल की सेवा पूरी कर ली है। मसौदा दिशानिर्देशों में तीन आवश्यकताएं थीं, अर्थात् (i) सेवा की अवधि (ii) बहुत अच्छा रिकॉर्ड और (iii) अनुभव की सीमा। योग्यता के मूल्यांकन के लिए बीस पुलिस क्षेत्रों में से पांच मुख्य पुलिस क्षेत्रों की पहचान

अधिकारी एम. ओ. एच. डी. को ध्यान में रखते हुए पैनल समिति द्वारा किए गए थे।

मुस्तफा वी। भारत और ओआरएस का संघ। [एल. नागेश्वर राव, जे.]

पंजाब राज्य की विशेष आवश्यकताएँ। न्यायालयों को चयन के मामले में विशेषज्ञों के निर्णय का सम्मान करना चाहिए। राज्य ने प्रत्यर्थी संख्या 4 और 5 के खिलाफ अपीलार्थियों द्वारा लगाए गए पक्षपात के आरोप पर गंभीर आपत्ति जताई। श्री रोहतगी ने कहा कि अपीलकर्ता ने एक विशेष जांच दल के प्रमुख के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एक रिपोर्ट दायर की, जिस पर दल के अन्य सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे।

डी. जी. पी. की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया की शुरुआत और समिति में प्रतिवादी संख्या 5 की उपस्थिति लेकिन पैनल समिति में उनके बने रहने पर कोई आपत्ति नहीं उठाई। अपीलार्थी को इस अंतिम समय में पक्षपात का मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। किसी भी स्थिति में, प्रतिवादी संख्या 5 को आवश्यकता के सिद्धांत के अनुसार पैनल समिति में बने रहने की आवश्यकता थी। राज्य सरकार ने अपीलार्थी की इस दलील का खंडन किया कि इसका दमन किया गया था प्रासंगिक अभिलेख। यह तर्क दिया गया कि प्रासंगिक रिकॉर्ड लोक सेवा आयोग को भेजा गया था। राज्य सरकार पर लोक सेवा आयोग को उक्त रिपोर्ट नहीं भेजकर प्रतिवादी संख्या 4 का पक्ष लेने का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। श्री रोहतगी ने कहा कि कई राज्यों में कई डी. जी. पी. के पैनल में शामिल करने और चयन के लिए मसौदा दिशानिर्देशों का पालन किया गया है। पैनल समिति में वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं जिनमें से प्रतिवादी संख्या 5 एक सदस्य होता है। चयन को पक्षपातपूर्ण नहीं कहा जा सकता है जब पूर्वाग्रह का आरोप बहु-सदस्य समिति के एक सदस्य के खिलाफ हो।

11. श्री मनिंदर सिंह, विद्वान वरिष्ठ वकील ने कहा कि प्रतिवादी संख्या 4 का सेवा का एक अनुकरणीय रिकॉर्ड है और वह एक उच्च अधिकारी हैं।

अपीलार्थी से अधिक पदक से अलंकृत अधिकारी। उच्च न्यायालय में दायर रिपोर्ट से संबंधित अपीलार्थी की दलीलों का जवाब देते हुए, प्रत्यर्थी संख्या 4 ने तर्क दिया कि इस न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश में अपीलार्थी की ओर से एक भयावह उद्देश्य है कि उक्त रिपोर्ट विशेष जांच दल द्वारा दायर की गई थी। वास्तव में, विशेष जांच दल द्वारा 01.02.2018 और 15.03.2018 पर दो रिपोर्ट दायर की गई थीं। उक्त रिपोर्टों पर समिति के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें प्रतिवादी संख्या 4 के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया था। बाद में, अपीलार्थी द्वारा एक और रिपोर्ट दायर की गई जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रतिवादी संख्या 4 कुछ आपराधिक गतिविधियों में शामिल था। उक्त रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में अदालत को दी गई थी। समिति के अन्य सदस्यों के पास [2021] 11 एस. सी. आर. हैं।

यह बताने के लिए रिकॉर्ड पर चला गया कि उनसे पहले परामर्श नहीं किया गया था

अदालत के समक्ष रिपोर्ट दायर की गई थी और न ही उन्हें रिपोर्ट की सामग्री के बारे में कोई जानकारी है। अपीलार्थी आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत दर्ज एक मामले में आपराधिक आरोप का सामना कर रहा था और उसने डी. जी. पी. के रूप में चयन और नियुक्ति के लिए प्रत्यर्थी संख्या 4 को बदनाम करने के उद्देश्य से रिपोर्ट तैयार की थी। श्री मनिंदर सिंह ने तर्क दिया कि प्रकाश सिंह के मामले में इस अदालत द्वारा जारी निर्देशों के सख्ती से अनुरूप मसौदा दिशानिर्देशों को चुनौती नहीं दी गई है, जिसके बावजूद न्यायाधिकरण ने उन्हें प्रकाश सिंह के मामले में निर्देशों का उल्लंघन माना है। उन्होंने आगे कहा कि श्री मुस्तफा अपनी आयु प्राप्त करने के बाद सेवानिवृत्त हो गए हैं।

12. प्रत्यर्थी संख्या 5 के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री श्याम दीवान ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी द्वारा कथित पक्षपात की याचिका थी न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा खारिज कर दिया गया जो इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देता है। पुलिस महानिदेशक के रूप में,

प्रत्यर्थी संख्या 5 पैनल समिति का सदस्य होने के लिए कर्तव्यबद्ध था। पक्षपात का आरोप निराधार है और केवल चयन और नियुक्ति को चुनौती देने में सफल होने के उद्देश्य से बनाया गया है डी. जी. पी. (एच. ओ. पी. एफ.) के रूप में प्रत्यर्थी संख्या 4 का। इसके अलावा, अपीलकर्ताओं द्वारा प्रतिवादी संख्या 5 की भागीदारी के लिए कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी

पैनल समिति।

13. न्यायिक समीक्षा को सरकार की अन्य शाखाओं या स्तरों के कार्यों की समीक्षा करने की न्यायालय की शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है; विशेष रूप से

विधायी और कार्यकारी कार्यों को असंवैधानिक होने के रूप में अमान्य करने की न्यायालय की शक्ति। न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रशासनिक कार्रवाई की वैधता और विधानों की वैधता निर्धारित करने के लिए न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में है और इसका उद्देश्य नागरिकों को राज्य की किसी भी शाखा द्वारा शक्ति के दुरुपयोग और दुरुपयोग से बचाना है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति है -

4. भारत के संविधान की मूल विशेषता। न्यायिक समीक्षा की कुछ अंतर्निहित सीमाएँ हैं। हालांकि, यह विवादों के निर्णय के लिए अधिक उपयुक्त है। प्रशासनिक कार्यों को करने के अलावा। कानून का प्रशासन करना कार्यपालिका का काम है और न्यायपालिका का काम यह सुनिश्चित करना है कि

2 ब्लैक लॉ डिक्शनरी 3 3 मिनर्वा मिल्स लिमिटेड v. भारत संघ (1980) 3 एस. सी. सी. 625 4 केशवानंद भारती बनाम। केरल राज्य (1973) 4 एससीसी 225 एमओएचडी।

मुस्तफा वी। भारत और ओआरएस का संघ। [एल. नागेश्वर राव, जे.]

सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करती है। 14. जिन आधारों पर प्रशासनिक कार्रवाई न्यायिक समीक्षा के अधीन है, वे अवैधता, तर्कहीनता और प्रक्रियात्मक अनुचितता हैं। निम्नलिखित

सिविल सेवा संघों की परिषद और अन्य में लॉर्ड डिप्लॉक द्वारा की गई टिप्पणियाँ v. सिविल सेवा मंत्री उपयुक्त हैं:

" न्यायिक समीक्षा के आधार के रूप में 'अवैधता' से मेरा मतलब है कि

निर्णय लेने वाले को इस कानून को सही ढंग से समझना चाहिए कि

वह अपनी निर्णय लेने की शक्ति को नियंत्रित करता है और उसे प्रभावी बनाना चाहिए। उसके पास उत्कृष्टता है या नहीं, यह न्यायसंगत है।

विवाद की स्थिति में उन व्यक्तियों, न्यायाधीशों द्वारा तय किया जाने वाला प्रश्न, जिनके द्वारा राज्य की न्यायिक शक्ति

व्यायाम योग्य है।

'अतार्किकता' से मेरा मतलब है कि अब तक जिसे संक्षिप्त रूप से 'वेड्सबरी अतार्किकता' कहा जा सकता है। यह एक पर लागू होता है

नैतिक मानकों को स्वीकार किया कि कोई भी समझदार व्यक्ति जिसने तय किए जाने वाले प्रश्न पर अपना दिमाग नहीं लगाया था, वह उस पर नहीं पहुंच सकता था। क्या कोई निर्णय इस श्रेणी में आता है, यह एक ऐसा सवाल है जो न्याय करता है। उनके प्रशिक्षण और अनुभव से जवाब देने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित होना चाहिए, अन्यथा हमारे न्यायिक तंत्र में कुछ बुरी तरह से गड़बड़ होगी।

प्रणाली। इस भूमिका के न्यायालय के प्रयोग को उचित ठहराने के लिए, मुझे लगता है कि आज एडवर्ड्स (कर निरीक्षक) बनाम में विस्काउंट रैडक्लिफ की सरल व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। बेयरस्टो, निर्णय निर्माताओं द्वारा कानून की एक अनुमानित लेकिन अज्ञात गलती के लिए इसे जिम्मेदार ठहराते हुए अदालत के फैसले को उलटने के लिए एक आधार के रूप में अतार्किकता। अतार्किकता "अब तक एक स्वीकृत आधार के रूप में अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है जिस पर न्यायिक समीक्षा द्वारा किसी निर्णय पर हमला किया जा सकता है।

मैंने तीसरे शीर्ष को "प्रक्रियात्मक अनुचितता" के रूप में वर्णित किया है।

प्राकृतिक न्याय के बुनियादी नियमों का पालन करने में विफलता या निर्णय से प्रभावित होने वाले व्यक्ति के प्रति प्रक्रियात्मक निष्पक्षता के साथ कार्य करने में विफलता। ऐसा इसलिए है क्योंकि न्यायपालिका के प्रति संवेदनशीलता

इस शीर्ष के तहत समीक्षा एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा प्रक्रियात्मक नियमों का पालन करने में विफलता को भी शामिल करती है जो उस विधायी साधन में स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए हैं जिसके द्वारा इसकी अधिकारिता प्रदान की गई है, यहां तक कि

5 एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) 3 एस. सी. सी. 1 6 [1985] ए. सी. 374
[2021] 11 एस. सी. आर.

जहाँ ऐसी विफलता में प्राकृतिक न्याय का कोई इनकार शामिल नहीं है। लेकिन तत्काल मामला प्रशासनिक न्यायाधिकरण की कार्यवाही से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। 15. प्रशासनिक प्राधिकरण में निहित विवेकाधीन शक्ति पूर्ण और निरंकुश नहीं होती है। वेड्सबरी में, लॉर्ड ग्रीन की राय थी कि विवेक का उचित रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए। अनुचितता की अवधारणा को समझाते हुए, लॉर्ड ग्रीन ने कहा कि विवेक के साथ सौंपे गए व्यक्ति को कानून में खुद को ठीक से निर्देशित करना चाहिए और उसे उस मामले पर अपना ध्यान देना चाहिए जिस पर वह विचार करने के लिए बाध्य है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण को उन मामलों को अपने विचार से बाहर करना चाहिए जो

वे उस मामले के लिए अप्रासंगिक हैं जिस पर उन्हें विचार करना है। लॉर्ड ग्रीन ने निष्कर्ष निकाला कि यदि कोई प्राधिकारी उपरोक्त नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसे वास्तव में अनुचित तरीके से काम करने के लिए कहा जा सकता है और अक्सर कहा जाता है।

16. बाहरी या अप्रासंगिक विचारों द्वारा प्रेरित शर्तें अनुचित हैं और न्यायालयों द्वारा इसके प्रयोग में दरकिनार किए जाने योग्य हैं।

न्यायिक समीक्षा के तहत शक्ति। (देखिए: यू. पी. राज्य बनाम राजा राम जयस्वाल ', शिवानंदन पासवान बनाम। बिहार राज्य और अन्य ", संत राज बनाम। ओ. पी. सिंगला ", पैडफील्ड बनाम। कृषि मंत्री 1 2)। सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद एक प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जा सकता है। यदि विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग प्रासंगिक की अवहेलना में किया गया है

विचार करने पर, न्यायालय आम तौर पर कार्रवाई को कानून 1 4 में गलत ठहराएगा। प्रासंगिक, जर्मन और वैध विचारों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है या

निर्णय लेते समय एक कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा अनदेखी की गई। यह एक सामान्य कानून है कि न्यायिक समीक्षा के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय उम्मीदवारों के तुलनात्मक गुणों का पुनर्मूल्यांकन करके विशेषज्ञ निकायों द्वारा किए गए चयनों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। चयन के साथ हस्तक्षेप पूर्वाग्रह, दुर्भावना और वैधानिक प्रावधानों के विपरीत निर्णयों तक ही सीमित है। (देखिए: दलपत अबासाहेब सोलुंके बनाम। डॉ. बी. एस. महाजन 1, बद्रीनाथ बनाम। स्टेट ऑफ टी. एन. ", राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान

7 एसोसिएटेड प्रोविंशियल पिक्चर हाउस लिमिटेड v. वेड्सबरी कॉर्प। [1947] 2 सभी ई. आर. 680 राम अवतार शर्मा बनाम। हरियाणा राज्य (1985) 3 एससीसी 189

9 (1985) 3 एससीसी 131

10 ओ (1983) 1 एस. सी. सी. 438

12 [1968] 1 सभी ईआर 694 13 सच्चिदानंद पांडे बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य, (1987) 2 एस. सी. सी. 295 14 1 4 प्रशासनिक कानून के 10 वें संस्करण में एच. डब्ल्यू. आर. वेड और सी. एफ. फोर्सिथ (2009) 15 सी. के. ठक्कर प्रशासनिक कानून, दूसरा संस्करण पृष्ठ 801

1.6 (1990) 1 एस. सी. सी. 305 17 (2000) 8 एससीसी 395 एमओएचडी।

मुस्तफा वी। भारत और ओआरएस का संघ। [एल. नागेश्वर राव, जे.]

वी. डॉ. के. कल्याण रमन ", मेजर जनरल आई. पी. एस. दीवान बनाम। भारत संघ ", संघ लोक सेवा आयोग बनाम। हिरण्यलाल देव 20, एम. वी. थिमैया बनाम। यू. पी. एस. सी. 2 और यू. पी. एस. सी. बनाम सत्यप्रिय 22 2)। 17. कानून के असंरक्षित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हम यह जांचने के लिए आगे बढ़ते हैं कि क्या प्रतिवादी संख्या 4 का चयन और नियुक्ति

डी. जी. पी. (एच. ओ. पी. एफ.) के रूप में मसौदा दिशानिर्देशों के आधार पर प्रकाश सिंह के मामले में इस अदालत के फैसले के विपरीत है, तर्कहीनता से पीड़ित है और द्वेष और पूर्वाग्रह के कारण दूषित है।

एक सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक, प्रकाश सिंह द्वारा दायर भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका, जिसमें मॉडल अधिनियम की तर्ज पर एक नया पुलिस अधिनियम बनाने के लिए निर्देश मांगे गए थे आयोग द्वारा तैयार किया गया। प्रकाश सिंह के मामले में अपने फैसले के माध्यम से इस अदालत द्वारा रिट याचिका का निपटारा किया गया था जिसमें राज्य सुरक्षा आयोग, पुलिस महानिदेशक के चयन और न्यूनतम कार्यकाल, पुलिस महानिरीक्षक और अन्य अधिकारियों के न्यूनतम कार्यकाल, जांच को अलग करने, पुलिस प्रतिष्ठान बोर्ड, पुलिस शिकायत प्राधिकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग से संबंधित कई निर्देश दिए गए थे। उक्त निर्देश भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जारी किए गए थे, जिन्हें अनुच्छेद 142 के साथ पढ़ा गया था, जिन्हें विधायिका के पारित होने तक लागू करने का निर्देश दिया गया था

उपयुक्त कानून। जहां तक डी. जी. पी. के चयन और न्यूनतम कार्यकाल का संबंध है, इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि यू. पी. एस. सी. तीन वरिष्ठ-विभाग के अधिकांश अधिकारियों को उनकी सेवा की अवधि, बहुत अच्छे रिकॉर्ड और पुलिस बल का नेतृत्व करने के अनुभव के आधार पर डी. जी. पी. के पद पर पदोन्नति के लिए सूचीबद्ध करेगा। राज्य सरकार

डी. जी. पी. का चयन यू. पी. एस. सी. द्वारा सूचीबद्ध तीन वरिष्ठतम अधिकारियों में से करेगा। इस न्यायालय द्वारा सेवानिवृत्ति की तारीख चाहे जो भी हो, कम से कम दो साल का न्यूनतम कार्यकाल तय किया गया है। 18 1992 पूरक (2) एससीसी 481 19 (1995) 3 एससीसी 383

20 (1988) 2 एस. सी. सी. 242 21 (2008) 2 एस. सी. सी. 119 2 2 (2018) 15 एस. सी. सी. 796 [2021] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

19. इसके द्वारा जारी निर्देशों के कार्यान्वयन के माध्यम से

प्रकाश सिंह के मामले में अदालत ने यूपीएससी ने डीजीपी (पुलिस प्रमुख) के रूप में नियुक्ति के लिए अधिकारियों को सूचीबद्ध करने के लिए मसौदा दिशानिर्देश तैयार किए। पैनल समिति की संरचना इस प्रकार हैः -

क) अध्यक्ष, या उनकी अनुपस्थिति में, सदस्य, यूपीएससी-अध्यक्ष।

ख) भारत सरकार का गृह सचिव या उसका मनोनीत व्यक्ति जो सरकार के विशेष सचिव के पद से कम न हो।

भारत।

घ) संबंधित राज्य सरकार के पुलिस महानिदेशक। ङ) सी. पी. ओ./सी. पी. एम. एफ. के प्रमुखों में से एक अधिकारी जो उस संवर्ग से संबंधित नहीं है जिसके लिए चयन किया जा रहा है, जिसे भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा नामित किया जाता है।

20. संबंधित संवर्ग की भारतीय पुलिस सेवा से संबंधित अधिकारी, जो एडीजी के पद से कम नहीं हैं, और जिन्होंने रिक्ति होने की तारीख तक कम से कम 30 साल की सेवा पूरी कर ली है, जिसके लिए पैनल तैयार किया गया है, वे डीजीपी के रूप में चयन और नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र हैं। दिशा-निर्देशों के अनुसार चयन होगा - पैनल में योग्यता-आधारित और समावेशन का निर्णय 'बहुत अच्छे' रिकॉर्ड और पुलिस बल का नेतृत्व करने के अनुभव के आधार पर किया जाएगा। मसौदा दिशानिर्देशों ने समिति को विचार के क्षेत्र में अधिकारियों की उपयुक्तता के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के लिए अपने स्वयं के तरीके और प्रक्रिया अपनाने का अधिकार दिया। समिति की बैठक की तारीख से पहले पिछले दस वर्षों के संदर्भ में अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों का मूल्यांकन करने के लिए समिति बाध्य थी। समिति द्वारा पिछले 10 वर्षों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 'बहुत अच्छे' के रूप में मूल्यांकन किए गए अधिकारियों को ही पैनल में शामिल करने के लिए विचार किया जाएगा। दिशानिर्देशों के अनुसार, समिति पुलिस बल का नेतृत्व करने के लिए प्रासंगिक अनुभव की सीमा को भी ध्यान में रखेगी, जैसा कि पैनल में शामिल करने के लिए उनकी उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए अधिकारियों के जैव-डेटा में परिलक्षित होता है। दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया है कि राज्य सरकार पैनल में शामिल तीन सबसे वरिष्ठ अधिकारियों में से डीजीपी की नियुक्ति करेगी।

21. 03.07.2018 पर, इस अदालत ने प्रकाश सिंह के मामले में फैसले में संशोधन के लिए दायर एक आवेदन का निपटारा किया।

निम्नलिखित निर्देशः

- एम. एच. डी. मुस्तफा वी। भारत और ओआरएस का संघ।

[एल. नागेश्वर राव, जे.]

6.1 . सभी राज्य अपेक्षा में अपने प्रस्ताव भेजेंगे।

संघ लोक सेवा आयोग में रिक्तियों की संख्या, पुलिस महानिदेशक के पद पर पदधारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से कम से कम तीन महीने पहले;

6.2 संघ लोक सेवा आयोग प्रकाश सिंह के मामले (ऊपर) में फैसले में इस न्यायालय के निर्देशों के अनुसार पैनल तैयार करेगा और राज्यों को सूचित करेगा।

6.3 राज्य तुरंत एक व्यक्ति की नियुक्ति करेगा।

संघ लोक सेवा द्वारा तैयार पैनल से

आयोग;

6.4 कोई भी राज्य कभी भी किसी व्यक्ति को महानिदेशक के पद पर नियुक्त करने के विचार की कल्पना नहीं करेगा।

अभिनय के आधार पर पुलिस क्योंकि अभिनय की कोई अवधारणा नहीं है

प्रकाश में निर्णय के अनुसार पुलिस महानिदेशक

सिंह का मामला (ऊपर);

6.5 सभी संबंधित लोगों द्वारा यह देखने का प्रयास किया जाना चाहिए कि वह व्यक्ति जिसे निदेशक के रूप में चुना और नियुक्त किया गया था।

पुलिस जनरल अपनी तारीख के बावजूद जारी है

सेवानिवृत्ति। हालांकि, सेवानिवृत्ति की तारीख से आगे की विस्तारित अवधि एक उचित अवधि होनी चाहिए। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह हमारे संज्ञान में लाया गया है कि कुछ राज्यों ने महानिदेशक की नियुक्ति करने की प्रथा अपनाई है।

सेवानिवृत्ति की अंतिम तिथि पर पुलिस जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद दो साल तक जारी रहता है।

सेवानिवृत्ति। ऐसी प्रथा अनुरूप नहीं होगी।

6.6 संघ लोक सेवा आयोग द्वारा हमारे निर्देश सं. (ग) पर विचार किया जाना चाहिए जिसका अर्थ है कि व्यक्तियों को जहाँ तक संभव हो, विचाराधीन क्षेत्र के भीतर के लोगों में से जिन्हें दो साल की स्पष्ट सेवा मिली हो। योग्यता और वरिष्ठता को उचित महत्व दिया जाना चाहिए।

6.7 किसी भी राज्य या केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कोई भी कानून/नियम जो निर्देश के विपरीत है,

उपरोक्त सीमा तक स्थगन में रहें।

22. यह ध्यान देने योग्य है कि पंजाब राज्य ने प्रकाश [2021] 11 एस. सी. आर. में इस न्यायालय के फैसले के बाद पंजाब ई अधिनियम, 2007 लागू किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों में से राज्य सरकार द्वारा चयनित और नियुक्ति पर, डी. जी. पी. का कार्यकाल कम से कम दो वर्ष का होगा। उक्त अधिनियम की वैधता को 2013 की रिट याचिका No.286 में चुनौती दी गई थी। पंजाब राज्य ने दिनांक 03.07.2018 के आदेश में संशोधन के लिए 2018 की आई. ए. संख्या 144172 दायर की, जिसमें स्वतंत्रता की मांग की गई पंजाब पुलिस अधिनियम, 2007 के अनुसार डी. जी. पी. की नियुक्ति। पंजाब राज्य के तर्क की जांच करते हुए, इस अदालत ने श्री राकेश कुमार गुप्ता, सचिव, यूपीएससी को 15.01.2019 पर उपस्थित होने के लिए तलब किया। श्री गुप्ता ने इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि डी. जी. पी. के चयन के लिए यू. पी. एस. सी. द्वारा समितियों का गठन किया गया है और 12 राज्यों के संबंध में समितियों द्वारा पैनल बनाए गए हैं। इस न्यायालय ने इस न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के लिए यूपीएससी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया से संतुष्ट होने के बाद दिनांक 1 के आदेश को संशोधित करने से इनकार कर दिया। चूंकि कुछ राज्य सरकारें डी. जी. पी. की नियुक्ति पदधारी की सेवा की अंतिम तिथि पर कर रही थीं ताकि अधिकारी को दो का विस्तारित कार्यकाल मिल सके।

वर्षों से, इस न्यायालय ने दिनांक 1 के एक आदेश द्वारा स्पष्ट किया कि डी. जी. पी. के पद पर नियुक्ति के लिए विचार के लिए एक अधिकारी का पैनल केवल छह महीने के न्यूनतम अवशिष्ट कार्यकाल के मामले में होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, केवल वे अधिकारी जिनके पास अपनी सेवानिवृत्ति से पहले कम से कम छह महीने की सेवा है, की नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा -

डीजीपी।

23. अपीलार्थी का तर्क है कि प्रकाश सिंह के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित मानदंडों का अक्षरशः पालन नहीं किया गया था

डी. जी. पी. (एच. ओ. पी. एफ.) के पद पर चयन करते समय यू. पी. एस. सी. की पैनल समिति द्वारा। मसौदा दिशानिर्देश प्रकाश सिंह के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के विपरीत हैं और इसलिए, प्रतिवादी संख्या 4 का चयन अलग किया जाना चाहिए। अनुभव की सीमा के संबंध में अधिकारियों की योग्यता के मूल्यांकन के लिए पांच मुख्य पुलिस क्षेत्रों का चयन मनमाना है और प्रतिवादी संख्या 4 के अनुरूप बनाया गया है। मान लीजिए, अपीलार्थी प्रत्यर्थी संख्या 4 से वरिष्ठ है और उसे यू. पी. एस. सी. की पैनल समिति द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता था।

24. यूपीएससी के अनुसार, प्रकाश सिंह के मामले में इस अदालत द्वारा जारी निर्देशों को प्रभावी बनाने के लिए दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार किया गया था। मसौदा दिशानिर्देशों को इस न्यायालय के समक्ष रखा गया था जब भारत सरकार द्वारा संशोधन के लिए दायर अंतर्वर्ती आवेदन

प्रकाश सिंह के मामले में आई. डी. 1 के फैसले पर विचार किया जा रहा था। इस न्यायालय ने प्रक्रिया एम. ओ. एच. डी. के बारे में संतोष व्यक्त किया।

मुस्तफा वी। भारत और ओआरएस का संघ। [एल. नागेश्वर राव, जे.]

और डी. जी. पी. के पद पर चयन के मामले में यू. पी. एस. सी. द्वारा अनुसरण किया जाने वाला अभ्यास। मसौदा दिशानिर्देशों में प्रकाश सिंह के मामले में इस अदालत द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार डी. जी. पी. के चयन के लिए पैनल समिति द्वारा विचार किए जाने वाले कारकों का उल्लेख किया गया है। पुलिस बल का नेतृत्व करने के लिए सेवा की अवधि, बहुत अच्छा रिकॉर्ड और अनुभव की सीमा पर पैनल समिति द्वारा विचार किया जाना चाहिए। यूपीएससी के अनुसार, अनुभव की सीमा योग्यता के घटक का एक घटक हिस्सा है। पंजाब राज्य के लिए डी. जी. पी. (एच. ओ. पी. एफ.) के पद पर चयन के संबंध में, पिछले 10 वर्षों के लिए संबंधित अधिकारियों के अनुभव की सीमा का आकलन करने के लिए पांच मुख्य पुलिस क्षेत्रों की पहचान की गई है। वर्ष, जो हैं:

ग. प्रशासन

D. जाँच

ई. सुरक्षा

मसौदा दिशानिर्देशों के आधार पर चयन का यूपीएससी द्वारा इस आधार पर बचाव किया गया था कि दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं

प्रकाश सिंह के मामले में इस अदालत द्वारा जारी किए गए निर्देश।

25. प्रकाश सिंह के मामले में इस अदालत ने पैनल बनाने का निर्देश दिया

व्यापक मानदंड निर्धारित करके यू. पी. एस. सी. द्वारा डी. जी. पी. के पद पर नियुक्ति के लिए अधिकारियों की संख्या। इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का कार्यान्वयन वस्तुनिष्ठ आधार पर होना चाहिए, जिसके कारण यूपीएससी ने मसौदा दिशानिर्देश तैयार किए हैं, जिनका कई राज्यों में डीजीपी के चयन के लिए 2009 से समान रूप से पालन किया जा रहा है। विचाराधीन अधिकारियों की वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए, चयन पुलिस बल का नेतृत्व करने के लिए बहुत अच्छे रिकॉर्ड और अनुभव के आधार पर किया जाता है। सेवा के बहुत अच्छे रिकॉर्ड का मूल्यांकन पिछले 10 वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के आधार पर किया जाता है। पैनल समिति द्वारा मूल्यांकन किए गए पुलिस बल का नेतृत्व करने के लिए अनुभव की सीमा 20 पुलिस क्षेत्रों में से पांच मुख्य पुलिस क्षेत्रों में अधिकारियों के प्रदर्शन का आकलन करके की जाती है। राज्यों में मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुख्य पुलिस क्षेत्रों का चयन करने के लिए पैनल समितियों को विवेकाधिकार दिया गया था। पंजाब राज्य की विचित्र स्थिति को ध्यान में रखते हुए, पुलिस बल का नेतृत्व करने के लिए एक अधिकारी के अनुभव की सीमा का पता लगाने के लिए खुफिया, कानून और व्यवस्था, प्रशासन, जांच और सुरक्षा को मुख्य पुलिस क्षेत्रों के रूप में पहचाना गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

26. मसौदा दिशानिर्देशों को इसके विपरीत नहीं कहा जा सकता है

प्रकाश सिंह के मामले में इस अदालत द्वारा निर्धारित मानदंड। दिशानिर्देश इस न्यायालय द्वारा पैनल में शामिल समितियों के मार्गदर्शन के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंड निर्धारित करके दिए गए निर्देशों को आगे बढ़ाते हैं। मुख्य पुलिस क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए मसौदा दिशानिर्देशों के आधार पर एक पैनल की तैयारी को मनमाना नहीं कहा जा सकता है। हम अपीलार्थी के इस कथन से प्रभावित नहीं हैं कि मुख्य पुलिस क्षेत्र थे

समिति, जिसे अपनी प्रक्रिया अपनाने की स्वतंत्रता दी गई है। विचाराधीन क्षेत्र में अधिकारियों की योग्यता का मूल्यांकन उनकी सेवा के रिकॉर्ड और अनुभव के आधार पर किया जाता है। वरिष्ठता के क्रम में तीन अधिकारियों का एक पैनल तैयार किया गया है। अपीलार्थी को मुख्य पुलिस क्षेत्रों के अनुभव के दायरे में पैनल में शामिल करने के लिए अपर्याप्त पाया गया। न्यायाधिकरण ने यह निष्कर्ष दर्ज करने में त्रुटि की कि पैनल समिति प्रकाश सिंह के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से भटक गई। इसका कोई आधार नहीं है न्यायाधिकरण का निष्कर्ष है कि मसौदा दिशानिर्देश प्रकाश सिंह के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के विपरीत हैं। उक्त मामले में उल्लिखित व्यापक मानदंड वरिष्ठता, सेवा का बहुत अच्छा रिकॉर्ड और पुलिस बल का नेतृत्व करने के लिए अनुभव की सीमा हैं। मसौदा दिशानिर्देश जिनका पैनल समितियों द्वारा ईमानदारी से पालन किया जाना है, यह निर्धारित करता है कि चयन समान मानदंडों पर होना चाहिए। तत्काल मामले में, पैनल समिति ने राज्य की विशिष्टताओं पर विचार करने के बाद पंजाब राज्य में पुलिस बल का नेतृत्व करने के लिए अधिकारियों के अनुभव की सीमा का आकलन करने का निर्णय लिया। बीस पुलिस क्षेत्रों के क्षेत्र में से पांच मुख्य पुलिस क्षेत्रों की पहचान को शक्ति का मनमाना प्रयोग नहीं कहा जा सकता है। न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी की इस दलील को स्वीकार करने में त्रुटि की कि पैनल समिति द्वारा पहचाने गए मुख्य पुलिस क्षेत्र केवल अप्रमाणित आरोपों के आधार पर प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में थे। यू. पी. एस. सी. द्वारा प्रकाश सिंह के कार्यकाल में पुलिस बल का नेतृत्व करने के लिए सेवा की अवधि, बहुत अच्छे रिकॉर्ड और अनुभव के आधार पर पैनल बनाने का निर्देश दिया गया था।

मामला (ऊपर)। बाद में, दिनांक 13.03.2019 के आदेश में, इस न्यायालय ने अपने पूर्व आदेश दिनांक 03.07.2018 को स्पष्ट किया और यूपीएससी को आदेश तैयार करने का निर्देश दिया।

विशुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर पैनल। चाहे जो भी हो, विचार के लिए 12 अधिकारियों के नामों की सिफारिश ए. डी. जी. पी. के संवर्ग में तीस साल की सेवा पूरी करने के आधार पर की जाती है। प्रकाश सिंह के मामले (ऊपर) में उल्लिखित सेवा की अवधि को एम. ओ. एच. डी. के लिए ध्यान में रखा जाता है।

मुस्तफा वी। भारत और ओआरएस का संघ। [एल. नागेश्वर राव, जे.]

विचार के क्षेत्र का निर्धारण। अन्य दो कारकों, सेवा का अच्छा रिकॉर्ड और सेवा की अवधि के आधार पर अनुशंसित सभी 12 अधिकारियों के अनुभव की सीमा का मूल्यांकन पैनल समिति द्वारा किया जाता है। उम्मीदवारों की योग्यता का मूल्यांकन पैनल द्वारा अनुसरण किए गए वस्तुनिष्ठ मानदंडों के अनुसार किया गया था

समिति। पैनल समिति द्वारा पंजाब राज्य के लिए डी. जी. पी. (एच. ओ. पी. एफ.) के रूप में नियुक्ति के लिए पैनल की तैयारी मसौदा दिशानिर्देशों के अनुपालन में है, जो प्रकाश सिंह के मामले में इस अदालत द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप हैं क्योंकि पैनल को प्रकाश सिंह के मामले में इस अदालत द्वारा निर्देशित और मसौदा दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था। चूंकि किसी भी अप्रासंगिक विचार ने निर्णय को प्रेरित नहीं किया, इसलिए पैनल समिति द्वारा पैनल की तैयारी को तर्कहीन नहीं कहा जा सकता है।

कार्य की प्रकृति और चयन समिति को दी गई शक्ति को ध्यान में रखते हुए, यह एक कानूनी आवश्यकता नहीं है कि इसके निष्कर्ष के लिए कारणों को दर्ज किया जाना चाहिए [देखिएः यूपीएससी वी. के. राजैया और अन्य। 23 , संघ लोक सेवा आयोग बनाम अरुण कुमार शर्मा & Ors.24 और बैद्यनाथ यादव बनाम। आदित्य नारायण रॉय और अन्य 2 5]। न्यायाधिकरण ने कारणों के अभाव में समिति के निर्णय को मनमाना ठहराने में त्रुटि की। इसलिए, पैनल समिति द्वारा पैनल की तैयारी को पीड़ित नहीं कहा जा सकता है अनुचितता।

27. अपीलार्थी ने तर्क दिया कि प्रत्यर्थी संख्या 5 को पैनल समिति से खुद को अलग कर लेना चाहिए था क्योंकि वह शत्रुतापूर्ण है।

उसकी ओर झुक गया। अपीलार्थी ने तर्क दिया कि उसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी में कानून प्रवर्तन अधिकारियों की संलिप्तता की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया था और उसने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सामग्री का पता लगाया। उन्हें इंदरप्रीत सिंह चड्ढा की आत्महत्या से जुड़े एक आपराधिक मामले में झूठा फंसाया गया था। यह अपीलार्थी का मामला है कि उसने एक सीलबंद लिफाफे में 18.05.2018 पर उच्च न्यायालय को एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें उसने मादक द्रव्यों की तस्करी में प्रतिवादी संख्या 4 और प्रतिवादी संख्या 5 की संलिप्तता का उल्लेख किया गया है। अपीलार्थी ने इससे पहले प्रत्यर्थी संख्या 5 के अलग होने का उल्लेख किया जब उसे अपनी निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट लिखने के लिए कहा गया था। अंत में, अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया कि पैनल की तैयारी प्रत्यर्थी संख्या 5 के पूर्वाग्रह के कारण दूषित है। दूसरी ओर,

23 (2005) 10 एससीसी 15 24 (2015) 12 एससीसी 600

25 2020 (16) एससीसी 799 [2021] 11 एस. सी. आर.

प्रत्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि अपीलकर्ता इंदरप्रीत सिंह चड्ढा की आत्महत्या में शामिल था। अपीलार्थी के नेतृत्व में विशेष जांच दल ने उच्च न्यायालय के समक्ष 01.02.2018 और 15.03.2018 पर दो रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें प्रतिवादी संख्या 4 या प्रतिवादी संख्या 5 का कोई उल्लेख नहीं है। उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत सीलबंद लिफाफा विशेष जांच दल के अन्य दो सदस्यों से परामर्श किए बिना था। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी संख्या 5, किसी राज्य के डी. जी. पी. होने के नाते, पैनल समिति के सदस्य होने से खुद को अलग नहीं कर सकते थे। यह भी तर्क दिया जाता है कि अपीलार्थी ने चयन कार्यवाही में प्रत्यर्थी संख्या 5 की भागीदारी के संबंध में कोई आपत्ति नहीं जताई है। प्रत्यर्थियों द्वारा आवश्यकता के सिद्धांत को लागू करने के लिए दबाव डाला गया था ताकि यह प्रस्तुत किया जा सके कि प्रत्यर्थी संख्या 5 खुद को पैनल समिति से अलग नहीं कर सकता था।

28. यह ध्यान देने योग्य है कि पक्षपात की याचिका को न्यायाधिकरण या उच्च न्यायालय का समर्थन नहीं मिला। हमारे सामने, विद्वान सलाह के लिए अपीलार्थी ने बद्रीनाथ (ऊपर) पर भरोसा करते हुए कहा है कि भले ही बहु-सदस्य समिति का एक व्यक्ति पक्षपाती हो, लेकिन

समिति को अमान्य कर दिया जाएगा। इसके अलावा, इस निर्णय में कहा गया है कि आवश्यकता का सिद्धांत केवल उस स्थिति में लागू होता है जब एक समिति एक क़ानून या वैधानिक नियम द्वारा गठित की जाती है। दूसरे शब्दों में, यदि समिति का गठन किया जाता है

एक प्रशासनिक आदेश के तहत एक अधिकारी को खुद को अलग करने और अपने पद पर दूसरे अधिकारी को बदलने का अनुरोध करने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती है।

जगह। भले ही पक्षपात की याचिका पहले नहीं उठाई गई हो, लेकिन इसे न्यायिक समीक्षा की कार्यवाही के दौरान उठाया जा सकता है। इसके अलावा, भले ही पूर्वाग्रह निर्णय का प्रत्यक्ष कारण न हो, परीक्षण केवल पूर्वाग्रह की संभावना में से एक है, जिसका अर्थ है पूर्वाग्रह की पर्याप्त संभावना। 26

29. भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 और 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, इस न्यायालय ने यू. पी. एस. सी. को एक

मानदंड, जिनमें से डी. जी. पी. का चयन और नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। राज्य के निवर्तमान डी. जी. पी. यू. पी. एस. सी. द्वारा जारी मसौदा दिशानिर्देशों के अनुसार पैनल समिति के सदस्य हैं। दिए गए निर्देशों के अनुपालन में जारी किए गए ये दिशा-निर्देश भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय द्वारा, हम

26 रतन लाल शर्मा बनाम। प्रबंध समिति, डॉ. हरि राम (सह-शिक्षा) उच्च माध्यमिक विद्यालय और अन्य, (1993) 4 एससीसी 10 एमओएचडी।

मुस्तफा वी। भारत और ओआरएस का संघ। [एल. नागेश्वर राव, जे.]

स्वीकार करें, प्रसिद्ध हैं और सार्वजनिक क्षेत्र में हैं। इसलिए, यह स्थिति कि प्रतिवादी संख्या 5, डी. जी. पी. होने के नाते, पैनल समिति का सदस्य होगा, अपीलार्थी की जानकारी में थी। इस तथ्य की अज्ञानता को केवल ढोंग के रूप में अस्वीकार किया जाना चाहिए। दोनों अपीलार्थी आम आदमी नहीं हैं, बल्कि राज्य में शीर्ष पुलिस पद पर नियुक्ति के इच्छुक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं। हमारे तर्क के समर्थन में, हमारे पास 30 जनवरी 2019 को हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित एक समाचार लेख है, जिसका शीर्षक है "डीजीपी की नियुक्ति-यूपीएससी की 4 फरवरी की बैठक पर सभी की नज़रें"। लेख में

पैनल समिति अपीलार्थियों के लिए अज्ञात या गुप्त थी। 30. इस संदर्भ में, हमें इस बात की जांच करनी होगी कि क्या अपीलकर्ताओं को आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को चुनौती देने से रोका गया है।

पैनल समिति, इस तथ्य को देखते हुए कि उन्होंने एक गणना की थी

मौका मिला, और चयन पैनल को सार्वजनिक किए जाने तक विरोध नहीं किया। हमारी राय में, मदन लाल और अन्य बनाम में अनुपात। जम्मू राज्य और कश्मीर और अन्य, 27 वर्तमान मामले में लागू होंगे जब एक

व्यक्ति एक मौका लेता है और भाग लेता है, उसके बाद वह यह तर्क देने के लिए नहीं घूम सकता है कि प्रक्रिया अनुचित थी या चयन समिति का उचित रूप से गठन नहीं किया गया था। यह निर्णय, निस्संदेह, एक ऐसे मामले से संबंधित है जिसमें याचिकाकर्ता एक खुले साक्षात्कार में उपस्थित हुआ था, हालाँकि, यह अनुपात वर्तमान मामले पर लागू होगा क्योंकि अपीलार्थी ने भी दांव के बावजूद एक सुनियोजित मौका लिया था, वह भी बिना किसी विरोध के, और फिर देर से पक्षपात और पूर्वाग्रह की याचिका को केवल तभी उठाया जब उसकी सिफारिश नहीं की गई थी। मदनलाल (ऊपर) में निर्णय ओम प्रकाश शुक्ला बनाम में इस न्यायालय के पहले के निर्णय को संदर्भित करता है। अखिलेश कुमार शुक्ला और अन्य, 2 28 जिसमें

याचिकाकर्ता जो बिना विरोध के परीक्षा में उपस्थित हुआ था, उसे कोई राहत नहीं दी गई, क्योंकि उसने याचिका दायर की थी जब वह बाद में परीक्षा में सफल नहीं हो सका था। इस सिद्धांत को दोहराया गया है

27 (1995) 3 एस. सी. सी. 486 28 (1986) सप.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

31. हमारे मामले के लिए अधिक उपयुक्त डॉ. जी सरना बनाम में एक पूर्व निर्णय होगा। लखनऊ विश्वविद्यालय और अन्य, 3 1 जिसमें ए इसी तरह का प्रश्न इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष विचार के लिए आया था क्योंकि याचिकाकर्ता ने चयन समिति के समक्ष पेश होने के बाद और नियुक्त होने में विफल रहने पर, चयन समिति के पांच में से तीन सदस्यों द्वारा अपने खिलाफ पक्षपात का अनुरोध करते हुए चयन परिणाम को चुनौती दी थी। उन्होंने समिति के गठन को भी चुनौती दी। चुनौती को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने निर्णय दिया थाः

" 15. तथापि, हम वर्तमान मामले में पक्षपात की तर्कसंगतता या पक्षपात की वास्तविक संभावना के प्रश्न में जाना आवश्यक नहीं समझते हैं क्योंकि इस तथ्य के बावजूद कि अपीलार्थी सभी प्रासंगिक तथ्यों को जानता था, उसने पक्ष रखने से पहले ऐसा नहीं किया था।

साक्षात्कार या साक्षात्कार के समय चयन समिति के गठन के खिलाफ अपनी छोटी उंगली भी उठाते हैं। ऐसा लगता है कि वह स्वेच्छा से समिति के समक्ष पेश हुए और उनसे अनुकूल सिफारिश करने का मौका लिया। ऐसा करने के बाद, अब उनके पास समिति के गठन पर सवाल उठाने की गुंजाइश नहीं है। मानाक में इस न्यायालय के एक निर्णय से इस दृष्टिकोण को बल मिलता है।

लाल के मामले में जहां कमोबेश इसी तरह की परिस्थितियों में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कार्यवाही के शुरुआती चरण में एक ही याचिका लेने में अपीलार्थी की विफलता ने उसके खिलाफ छूट का एक प्रभावी अवरोध पैदा किया। इसमें निम्नलिखित टिप्पणियाँ उद्धृत करने योग्य हैंः

" यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि अपीलार्थी न्यायाधिकरण से एक अनुकूल रिपोर्ट प्राप्त करने का मौका लेना चाहता था जो
गठित किया गया और जब उन्होंने पाया कि उनका सामना एक प्रतिकूल रिपोर्ट के साथ किया गया था, तो उन्होंने उठाने का उपकरण अपनाया

वर्तमान तकनीकी बिंदु।

32. डॉ. जी सराना (ऊपर) में उपरोक्त निर्णय को मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज और एक अन्य v में संदर्भित किया गया था।

के. शिवसुब्रमणियन और अन्य, 32 जिसमें पद के लिए चयन 29 (2010) 12 एस. सी. सी. 576

30 (2013) 11 एस. सी. सी. 309 31 (1976) 3 एस. सी. सी. 585

32 (2016) 1 एससीसी 454 एमओएचडी।

मुस्तफा वी। भारत और ओआरएस का संघ। [एल. नागेश्वर राव, जे.]

सहायक प्रोफेसर को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि उम्मीदवार संकाय भर्ती नियमों के विपरीत थे। चुनौती को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि प्रतिवादी ने विज्ञापन और नियमों की सामग्री में कथित बदलाव पर कोई आपत्ति उठाए बिना अपना आवेदन प्रस्तुत किया था और विशेषज्ञों की समिति के समक्ष उपस्थित होकर चयन प्रक्रिया में भाग लिया था।

33. समान रूप से उपयुक्त निर्णय का संदर्भ होगा

इस न्यायालय ने पी. डी. दिनाकरन (1) v. न्यायाधीश जांच समिति और अन्य, 3 3 जिसमें आरोप था कि न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 की धारा 3 (2) के तहत राज्य परिषद (राज्यसभा) के अध्यक्ष द्वारा गठित समिति के सदस्यों में से एक पक्षपाती था। यह निर्णय व्यापक रूप से दोनों घरेलू भाषाओं से पढ़ा और आत्मसात किया जाता है। और पूर्वाग्रह और पूर्वाग्रह के सवाल पर विदेशी निर्णय और डॉ. जी सरना (उपरोक्त) मामले में निम्नलिखित टिप्पणियों को उद्धृत करते हैं:

" 11 ..... असली सवाल यह नहीं है कि क्या प्रशासनिक बोर्ड का कोई सदस्य अर्ध-न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए

या अर्ध-न्यायिक कार्यों का निर्वहन पक्षपातपूर्ण था, क्योंकि किसी व्यक्ति के दिमाग की जांच करना मुश्किल है। यह देखना होगा कि क्या यह विश्वास करने के लिए कोई उचित आधार है कि वह पक्षपातपूर्ण होने की संभावना थी। पक्षपात के सवाल को तय करने में, मानव संभावनाओं और मानव आचरण के सामान्य पाठ्यक्रम को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

34. इसके बाद, अशोक कुमार यादव और अन्य बनाम का संदर्भ दिया जाता है। हरियाणा राज्य और अन्य, 3 4 जो संदर्भित करता है

ए. के. क्राईपक और अन्य बनाम में संवैधानिक पीठ का निर्णय। भारत संघ और अन्य। 35 अशोक कुमार यादव (ऊपर) का एक मामला था यू. पी. एस. सी. द्वारा चयन और इस निर्णय से निम्नलिखित उद्धरण कुछ महत्व के हैं:

" 18. हमें तुरंत यह बताना चाहिए कि ए. के. क्राईपक मामला प्रशासनिक कानून के विकास में एक मील का पत्थर है और इसने इसे मजबूत करने में बड़े पैमाने पर योगदान दिया है।

इस देश में कानून का शासन। हम इस निर्णय में निर्धारित महत्वपूर्ण सिद्धांत को थोड़ा भी कम नहीं करना चाहेंगे, जिसने कानून के शासन की जड़ों को पोषित किया है और न्याय और निष्पक्षता को वैधता में डाल दिया है। हो सकता है।

34 (1985) 4 एस. सी. सी. 417 35 (1969) 2 एससीसी 262 [2021] 11 एस. सी. आर.

इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों का चयन करने के उद्देश्य से एक चयन समिति का गठन किया जाता है और

चयन समिति के सदस्य चयन के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवार से निकटता से संबंधित हैं, ऐसे सदस्य के लिए केवल अपने संबंधित उम्मीदवार के साक्षात्कार में भाग लेने से पीछे हटना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उसे पूरी चयन प्रक्रिया से पूरी तरह से पीछे हटना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि

उनके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नामित करने के लिए अधिकारी

चयन समिति, क्योंकि अन्यथा किए गए सभी चयनों को चयन की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले पूर्वाग्रह की उचित संभावना के कारण दूषित कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ स्थिति यह है कि

हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी) और संबद्ध सेवाओं के लिए उम्मीदवारों का चयन उस उद्देश्य के लिए गठित किसी भी चयन समिति द्वारा नहीं किया जा रहा है, बल्कि यह हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा किया जा रहा है जो संविधान के अनुच्छेद 316 के तहत स्थापित एक आयोग है। यह एक आयोग है जिसमें एक अध्यक्ष और सदस्यों की एक निर्दिष्ट संख्या होती है और यह एक संवैधानिक प्राधिकरण है। हम नहीं सोचते कि सिद्धांत

जिसके लिए यह आवश्यक है कि चयन समिति का कोई सदस्य, जिसका करीबी रिश्तेदार चयन के लिए उपस्थित हो रहा है, चयन समिति का सदस्य बनने से इनकार कर दे या अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नामित करने के लिए इसे नियुक्ति प्राधिकरण पर छोड़ दे, लोक सेवा आयोग जैसे संवैधानिक प्राधिकरण के मामले में आवेदन करने की आवश्यकता है, चाहे वह केंद्रीय हो या राज्य। यदि लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य इस आधार पर चयन प्रक्रिया से पूरी तरह से हट जाता है कि उसका कोई करीबी रिश्तेदार उपस्थित हो रहा है। चयन के लिए, किसी सदस्य को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को उसके स्थान पर प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। और कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि ऐसे सदस्य की जगह लेने के लिए कोई अन्य सदस्य उपलब्ध न हो और लोक सेवा आयोग का कामकाज प्रभावित हो। जब लोक सेवा आयोग के दो या दो से अधिक सदस्य मौखिक परीक्षा आयोजित कर रहे होते हैं, तो वे व्यक्तियों के रूप में नहीं बल्कि लोक सेवा के रूप में कार्य कर रहे होते हैं।

आयोग। बेशक, हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि जब किसी लोक सेवा आयोग के सदस्य का कोई करीबी रिश्तेदार साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो रहा हो, तो ऐसे सदस्य को उस उम्मीदवार के साक्षात्कार में भाग लेने से पीछे हटना चाहिए और एम. ओ. एच. डी. नहीं होना चाहिए।

मुस्तफा वी। भारत और ओआरएस का संघ। [एल. नागेश्वर राव, जे.]

उसके गुण-दोष के संबंध में किसी भी चर्चा में भाग लें। उम्मीदवार और यहां तक कि उस उम्मीदवार को दिए गए अंक या क्रेडिट

उसे प्रकट नहीं किया जाना चाहिए।

35. ' वास्तविक संभावना परीक्षण 'रणजीत ठाकुर बनाम में लागू किया गया। भारत संघ और अन्य, 3,6 को निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट किया गया है:

" 15 ..... पक्षपात की वास्तविक संभावना का परीक्षण यह है कि क्या एक उचित

प्रासंगिक जानकारी रखने वाले व्यक्ति के पास होगा

सोचा कि पक्षपात की संभावना थी और क्या प्रतिवादी 4 को केवल एक विशेष मामले में निर्णय लेने के लिए निपटाया जाने की संभावना थी

रास्ता।

16. यह निर्णय का सार है कि यह न्यायिक प्रक्रिया के उचित पालन के बाद किया जाता है; कि न्यायालय या न्यायाधिकरण

इसे पारित करना, कम से कम न्यूनतम आवश्यकताओं का अवलोकन करता है

प्राकृतिक न्याय निष्पक्ष व्यक्तियों से बना है जो निष्पक्ष रूप से और पूर्वाग्रह के बिना और अच्छे विश्वास में कार्य करते हैं। एक निर्णय जो पक्षपात या निष्पक्षता की कमी का परिणाम है, एक शून्य और परीक्षण है।

' कोरम गैर न्यायिक '।

17. पक्षपात की संभावना के परीक्षणों के संबंध में जो प्रासंगिक है वह पार्टी के मन में उस संबंध में आशंका की तर्कसंगतता है। न्यायाधीश के लिए उचित दृष्टिकोण यह नहीं है कि वह अपने मन को देखे और खुद से पूछे, हालाँकि, ईमानदारी से, 'क्या मैं पक्षपाती हूँ?' ; लेकिन पहले पार्टी के दिमाग को देखने के लिए

उसे। '

36. पी. डी. दिनाकरन (1) (ऊपर) में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि विचाराधीन सदस्य ने एक सेमिनार के दौरान प्रस्तावित पदोन्नति के खिलाफ बात की थी।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में याचिकाकर्ता की और इसलिए, पक्षपात की संभावना की आशंका उचित है और काल्पनिक नहीं है, हालांकि वास्तव में, सदस्य पक्षपाती नहीं हो सकता है। फिर भी, रिट याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि याचिकाकर्ता एक सामान्य व्यक्ति नहीं था और

कानून में पारंगत होने के कारण आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित होने पर समिति के गठन पर आपत्ति जताई जानी चाहिए थी, जिसे लगभग सभी समाचार पत्रों में अत्यधिक प्रचारित किया गया था। जागरूकता और ज्ञान के बावजूद, याचिकाकर्ता ने आपत्ति नहीं जताई, जो इंगित करता है कि वह संतुष्ट था कि सदस्य के

पास उसके खिलाफ कुछ भी नहीं था। इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा देर से की गई याचिका स्वीकार करने के योग्य नहीं थी और सदस्य के रूप में व्यक्ति की नियुक्ति पर आपत्ति के प्रामाणिक विरोध को कम करती है।
36 (1987) 4 एससीसी 611 [2021] 11 एस. सी. आर.

समिति से। इसके समर्थन में, इस न्यायालय के कई फैसलों का संदर्भ दिया गया था, जिसमें श्री लाचू मल बनाम। श्री राधे श्याम, 3 7, जो इस सामान्य सिद्धांत को स्वीकार करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी ऐसे कानून या नियम के लाभ को माफ करने का अधिकार है जो केवल उसके लाभ और उसकी निजी क्षमता में व्यक्ति की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, जिसे किसी भी सार्वजनिक अधिकार या सार्वजनिक नीति का उल्लंघन किए बिना दिया जा सकता है। मानक लाल (श्री) में, अधिवक्ता बनाम। प्रेम चंद सिंघवी और अन्य, 3 38 इस न्यायालय ने न्यायाधिकरण की सिफारिश पर की गई कार्रवाई को रद्द करने से इनकार कर दिया था, हालांकि न्यायाधिकरण के अध्यक्ष मामले में अपीलार्थी के सामने पेश हुए थे। इसका कारण यह था कि अपीलार्थी ने कभी भी न्यायाधिकरण के समक्ष कोई मुद्दा नहीं उठाया था, जो अन्य कारकों के साथ छूट को दर्शाता था। अंत में, पी. डी. दिनाकरन (1) (उपर्युक्त) मामले में न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 86. अंत में, हम मानते हैं कि देर से वृद्धि

धारा 3 (2) के तहत समिति याचिकाकर्ता की ओर से एक सुनियोजित कदम प्रतीत होती है। वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है और जानता है। कि न्यायाधीश (जांच) नियमों के नियम 9 (2) (सी) के संदर्भ में,

1969 , समिति के पीठासीन अधिकारी के लिए आवश्यक है कि

तीन की अवधि के भीतर अध्यक्ष को रिपोर्ट भेजें

उस तारीख से महीनों बाद अधिनियम की धारा 3 (3) के तहत बनाए गए आरोप उन पर लगाए गए थे। इसलिए, वह रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी करने के लिए हर संभव रणनीति अपनाना चाहता है।

सभी संभावनाओं में समिति को अध्यक्ष से परंतुक के संदर्भ में समय बढ़ाने का अनुरोध करने के लिए मजबूर कर सकता है - नियम 9 (2) (सी)। यह न्यायालय या, उस कारण से, कोई भी न्यायालय आदेश नहीं दे सकता है।

एकल के साथ दायर याचिका में याचिकाकर्ता को सहायता

जाँच को अंतिम रूप देने में देरी का उद्देश्य।

फिर भी, पी. डी. दिनाकरन (1) (ऊपर) मामले में न्यायालय ने अध्यक्ष से अनुरोध किया था कि वे विचाराधीन व्यक्ति के स्थान पर एक अन्य प्रतिष्ठित न्यायविद को नामित करें, यह देखते हुए कि शुरू की गई कार्यवाही केवल आरोप तय करने और नामित करने के चरण तक आगे बढ़ी है।

एक अन्य न्यायविद कार्यवाही में बाधा नहीं डालेंगे। पुनर्गठित समिति पहले से तय किए गए आरोपों पर आगे बढ़ने की हकदार होगी।

37. उपरोक्त अनुपात को देखते हुए, जो लागू होता है, इस न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह आरोपों और प्रस्तुतियों के आधार पर आगे की जांच करे।

पक्षपात और पूर्वाग्रह के दावे पर।

37 (1971) 1 एससीसी 619

38 ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 425 एम. ओ. एच. डी.

मुस्तफा वी। भारत और

ओआरएस का संघ। [एल. नागेश्वर राव, जे.]

38. उपरोक्त कारणों से, हमें कोई

त्रुटि ए नहीं मिलती है

उच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधिकरण के फैसले को दरकिनार करने और पंजाब राज्य के डी. जी. पी. (एच. ओ. पी. एफ.) के रूप में प्रतिवादी संख्या 4 के चयन और नियुक्ति को बरकरार रखने के लिए प्रतिबद्ध।

39. याचिकाएं खारिज की जाती

हैं।

निधि जैन